कार्यालय : जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 33 / 2021 / 3625 दिनांक : 17 / 10 / 2025

आ दे श

इस न्यायक्षेत्र में पदस्थापित / कार्यरत निम्नलिखित लिपिक ग्रेड–II के द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त / नियम / 2017 दिनांक 30.10.2017 व संशोधित अधिसूचना दिनांकित 09.12.2017 व 26.07.2023 के क्रम में एवं शेट्टी कमीशन के तहत देय एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ स्वीकृत करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या (05) में अंकित तिथि से नियमित वेतन श्रृंखला में निम्नानुसार एतद्द्वारा वेतन स्थिरीकरण किया जाता है :–

क.सं.	नाम कर्मचारी मय पद व न्यायालय का नाम सर्व श्री / श्रीमती / सुश्री	कार्यभार ग्रहण करनें की प्रथम तिथि व न्यायक्षेत्र का नाम	परिवीक्षाकाल में कर्मचारी द्वारा लिये गये असाधारण / अवैतनिक अवकाश का विवरण	परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर नियमित वेतन स्थिरीकरण की तिथि	वर्तमान फिक्स / पातेय वेतन	परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने की दिनांक, नियमित वेतनस्थिरीकरण पर स्वीकृत पे–मैट्रिक्स में मूल वेतन व लेवल तथा नियमित वेतनस्थिरीकरण की देय दिनांक	शेट्टी कमीशन के तहत देय एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने की दिनांक व संशोधित मूल वेतन	आगामी वेतनवृद्धि दिनांक
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.	अविनाश खाण्डल, **लिपिक ग्रेड–II** न्यायालयः–एन.आई. एक्ट, क्रम–12, जयपुर महानगर–II	12.09.2023 (F/N) जयपुर महानगर–II	पितृत्व अवकाश 15.03.2025 से 29.03.2025 कुल 15 दिन	12.09.2025	14600 / –	परिवीक्षा पूर्ण की दिनांक 12.09.2025 मूलवेतन 20800 / – **(L-05)** देय दिनांक 12.09.2025	**21400 / – (L-05)** देय दिनांक 12.09.2025	01.01.2026
2.	विनोद बैरवा, **लिपिक ग्रेड–II** न्यायालयः–अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर), जयपुर महानगर–II	23.08.2023 (F/N) जयपुर महानगर–II	17.01.2024 से 09.02.2024– 24 23.09.2024 से 09.10.2024– 17 कुल–41 दिवस	03.10.2025	14600 / –	परिवीक्षा पूर्ण की दिनांक 03.10.2025 मूलवेतन 20800 / – **(L-05)** देय दिनांक 03.10.2025	**21400 / – (L-05)** देय दिनांक 03.10.2025	01.01.2026

नोट :–

1. उपरोक्त कर्मचारीगणों को वेतन भत्ते परिवीक्षा काल पूर्ण होने की दिनांक से नियमानुसार देय होगें।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक No F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II Jaipur dated 26-07-2023 के अनुसरण में जिन कर्मचारीयों का परिवीक्षाकाल दिनांक 01.04.2023 के बाद 30 जून से 30 दिसम्बर के मध्य पूरा हो उनकी आगामी वेतनवृद्धि 01 जनवरी को देय होगी उक्त क्रम में ***उपरोक्त कर्मचारीगण की वेतनवृद्धि दिनांक 01.01.2026 निर्धारित की गई हैं एवं उक्तानुसार कर्मचारीगण की आगामी वेतनवृद्धि हर वर्ष 01 जनवरी को ही देय होगी 01 जुलाई को देय नहीं होगी।***
3. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारीगण की सेवापुस्तिका में किया जावे।

– Sd –
जिला एवं सैशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 33 / 2021 / 3626

दिनांक : 17 / 10 / 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. संबंधित न्यायालय जयपुर महानगर–द्वितीय(संलग्न सेवापुस्तिका)
04. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
05. संबंधित कर्मचारी ।.
06. आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली ।

जिला एवं सैशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय